न्यायालय–प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,जौनपुर ।

प्रकीर्ण प्रार्थना पत्र संख्या– /2021

सत्र परीक्षण संख्या– 168/2020 (रजि0 नं0–1263/2020)

सीएनआर.नं0–यूपीजेपी. 010058322020

स्टेट––––––––––बनाम––––––––––चन्द्र प्रकाश

मु0 अ0 सं0– 138/2020

धारा–302, 404, 411 आई0 पी0 सी0

थाना–सिकरारा, जिला जौनपुर।

दिनांकः 18.01.2022

प्रार्थी मानस दूवे पुत्र राजेन्द्र प्रसाद निवासी ग्राम–निजामुद्दीनपुर, थाना सिकरारा, जिला जौनपुर द्वारा दिनांक 27.10.2021 को इस आशय का प्रार्थना पत्र 13ख प्रस्तुत किया गया है कि उपरोक्त प्रकरण में मृतक सभापति दूबे का मु0–70,000/–रूपये,एक अदद अटैची चेकबुक पासबुक तथा विद्यालय से सम्बंधित कागजात सैमसंग मोबाईल सम्बंधित थाने के विवेचक द्वारा बरामद कर थाने में जमा किया गया है जिसे अवमुक्त कराने हेतु मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जौनपुर के न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जो दिनांक 14.09.2020 को निरस्त कर दी गयी जिसके विरूद्ध मा0 सत्र न्यायाधीश जौनपुर के यहां निगरानी सं0–120/2020 मानसदूबे बनाम उ0 प्र0 राज्य प्रस्तुत की गयी जिसपर सुनवाई करते हुये दिनांक 17.04.2021 निर्णय पारित करते हुये प्रश्नगत आदेश दिनांकित 14.09.2019 को अपास्त करते हुये अवर न्यायालय को निर्णय की प्रति इस निर्देश के साथ प्रेषित की गयी कि पक्षकारों को सुनकर निगरानी में दिये गये अभिमत के प्रकाश में पुनः नवीन आदेश पारित किया जाय। जिस पर सी0 जे0 एम0 जौनपुर के न्यायालय में निगरानी उपरोक्त के प्रकाश में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया कि पुनः नवीन आदेश के तहत बरामद सामान को अवमुक्त किया जाय। जिस पर सुनवाई करते हुये दिनांक 04.10.2021 को अवर न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र उपरोक्त को निरस्त कर दिया और कहा कि मु0 अ0 सं0–138/2020 राज्य प्रति चन्द्र प्रकाश थाना सिकरारा की पत्रावली सत्र न्यायालय को दिनांक 17.10.2020 को सपुर्द की जा चुकी है जिसके कारण बरामद सामान को रिलीज/अवमुक्त किया जाना सम्भव नहीं है।

उपरोक्त प्रकरण में बरामद सामान मु0–70,000/–रूपये एक अदद अटैची विद्यालय से सम्बंधित कागजात चेकबुक, पासबुक, सैमसंग मोबाईल का प्रार्थी वैध उत्तराधिकारी है। पंडित सभापति दूबे इण्टर कालेज उतिराई बड़ेरी, जौनपुर का कार्यभार एवं क्रियाकलाप का संचालन करने में परेशानी हो रही है थाने में उपरोक्त सामानों के पड़े रहने से उसके मूल्य में गिरावट होगी एवं सामान नष्ट होने या खराब होने की पूर्ण सम्भावना है तथा उसकी उपयोगिता नष्ट हो जायेगी। प्रार्थी न्यायालय के निर्देशों का पूर्णरूप से पालन करेगा। उपरोक्त बरामद सामान को प्रार्थी के पक्ष में अवमुक्त किया जाना आवश्यक है। अतः उपरोक्त आधारों पर विवेचक द्वारा बरामद सामान मु0–70,000/–रूपये, अटैची, चेकबुक, पासबुक विद्यालय से सम्बंधित कागजात, सैमसंग मोबाईल आदि को प्रार्थी के पक्ष में रिलीज/अवमुक्त किये जाने की याचना की गयी है।

मैने प्रार्थी मानस दूबे के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों का अवलोकन किया।

उल्लेखनीय है कि प्रस्तुत प्रकरण में सम्बंधित थाने की पुलिस आख्यानुसार थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0 अ0 सं0–138/2020 धारा 302, 404, 411 भा0 द0 सं0 से सम्बंधित माल मुकदमाती नकद मु0–70,000/–रूपये, अटैची, मोबाईल फोन सैमसंग दाखिल है। प्रार्थी द्वारा यह उल्लिखित किया गया है कि वह जरिये रजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर मृतक सभापति दूबे का वारिस है। पुलिस प्रपत्रों के अवलोकन से विदित होता है कि मृतक सभापति दूबे अविवाहित थे, उक्त तथ्य की पुष्टि ग्राम प्रधान एवं विवेचक द्वारा की गयी है। मृतक सभापति दूबे अपनी मृत्यु से पूर्व ग्राम उतिराई बड़ेरी, जौनपुर स्थित पं0 सभापति दूबे इण्टर कालेज के कर्ता–धर्ता/प्रबन्धक थे। प्रार्थी मृतक का एकमात्र वारिस है और उपरोक्त रजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर उक्त इण्टर कालेज के कार्यभार व क्रियाकलाप संभालने का हक रखता है, परन्तु उक्त तथ्य की पुष्टि किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा नहीं की गयी है और न ही प्रार्थी द्वारा उक्त इण्टर कालेज में प्रबन्धक होने के सम्बन्ध में कोई प्रमाणित कागजात ही प्रस्तुत किया गया है। यह सही है कि प्रार्थी मानस दूबे, मृतक सभापति दूबे द्वारा किये गये रजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर वारिस है, परन्तु वसीयत के आधार पर प्रार्थी को मृतक का वारिस अथवा

प्रश्नगत इण्टर कालेज का प्रबन्धक किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा माना गया हो ऐसा कोई साक्ष्य प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। विवेचक द्वारा बरामद समस्त सामान कालेज से सम्बंधित है। ऐसी परिस्थिति में मामलें के तथ्यों, परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये प्रार्थी मानस दूबे के पक्ष में प्रकरण से सम्बंधित बरामदशुदा माल को अवमुक्त किये जाने का पर्याप्त आधार नहीं है। तद्नुसार प्रार्थना पत्र 13ख निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी मानस दूबे पुत्र राजेन्द्र प्रसाद सा0 मौजा–निजामुद्दीनपुर, थाना सिकरारा, जिला जौनपुर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 13ख दिनांकित 27.10.2021 निरस्त किया जाता है।

(अरविन्द कुमार श्रीवास्तव)
प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जौनपुर।
जे.ओ.कोड नं0–यू.पी. 5859

Digitally signed by Arvind Kumar Srivastava
Date: 2022.01.18 15:37:07 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court jaunpur